न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 07 / 2018

आरसीएमएस नम्बर– 2018 / 00034

प्रार्थीः–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
आनन्द प्रसाद पुत्र दलसुखराम जाति गर्ग निवासी सोमेसर तहसील रानी		1 नर्बदा बाई पत्नी श्री अमरीश भाई जाति गुरू निवासी सोमेसर 2 ग्राम पंचायत भादरलाउ जरिये सरपंच

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थिति :–

1. श्री महेन्द्र नारायण ओझा, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1

–: निर्णय :–

दिनांक - 20/02/2019

प्रार्थी ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के ग्राम पंचायत सोमेसर द्वारा मिसल संख्या 93 / 2007–2008 के सम्बन्ध में पारित प्रस्ताव संख्या 3 दिनांक 24.05.2008 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 18 के विरूद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि जैर निगरानी विवादित आराजी एवं अन्य सम्पतियां प्रार्थी के दादा एवं अप्रार्थी संख्या 1 के ससुर दलसुखराम की सम्पति थी। जो दलसुखराम जी द्वारा प्रार्थी को बेचान की गई थी। उक्त भूमि दलसुखराम जी की स्वयं की थी, जिसका पट्टा संख्या 56 दिनांक 16.06.1972 को दलसुखराम द्वारा तत्कालीन ग्राम पंचायत से प्राप्त किया था। इस पट्टे की जानकारी प्रार्थी एवं अप्रार्थी दोनों को ही रही हैं। इसके बावजूद भी अप्रार्थी संख्या 1 ने ग्राम पंचायत से मिलावट करते हुए पट्टासुदा भूमि पर दुबारा स्वयं के नाम से पट्टा जारी करवा लिया, जो विधि विरूद्ध हैं। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष मिथ्या तथ्य अंकित करते हुए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया तथा ग्राम पंचायत द्वारा भी पंचायती राज नियमों में विहित प्रक्रिया का दुरूपयोग करते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया, जो विधि विरूद्ध हैं। अतः निगरानी स्वीकार करावें एवं जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को अपास्त करावें।

अति॰ जिला कलेक्टर, पाली

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा विधिवत ग्राम पंचायत में आवेदन प्रस्तुत किया है, जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा मिसल कायम की जाकर प्रक्रिया अपनाते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि सम्मत हैं। जैर निगरानी विवादित आराजी पर अप्रार्थी संख्या 1 का कब्जा है। पंचायत द्वारा पूर्ण जांच की जाकर जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि सम्मत हैं। अतः निगरानी खारिज़ करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत न्यायिक सिद्धान्तों का ससम्मान अवलोकन किया। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत भादरलाउ के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत कर अपने मकान का पट्टा बनाने का निवेदन किया। इस पर ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 13.03.2008 को मिसल कायम की गई। इसके पश्चात दिनांक 20.03.2008 को सचिव को नक्शा तैयार करने के आदेश पारित किए गए। उक्त आदेश की पालना में ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव द्वारा नक्शा तैयार किया गया, जिसमें वांछित भूमि के उत्तर में अन्य का प्लोट, दक्षिण में देवराज का मकान, पूर्व में देवराज का प्लोट तथा पश्चिम में आम रास्ता व दरवाजा होना अंकित किया। इसके पश्चात मिसल दिनांक 16.05.2008 को कोरम के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिसमें आवेदित भूमि के मौका निरीक्षण हेतु तीन पंचों को मनोनीत किया गया। पंचों ने अपनी रिपोर्ट में एक माह का आपत्ति इश्तिहार जारी कराने का निवेदन किया। इसके पश्चात मिसल दिनांक 17.05.2008 को कोरम के समक्ष प्रस्तुत हुई, जिसमें एक माह का आपत्ति इश्तिहार जारी करने के आदेश पारित किए गए। इसके पश्चात दिनांक 20.05.2008 जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी करने के आदेश पारित किए। इस पट्टे की उत्तरी एवं दक्षिणी भुजा क्रमशः 65 फुट–65 फुट थी एवं पूर्वी–पश्चिमी भुजा क्रमशः 17–17 फुट थी।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी का मुख्य आधार यह भी रहा कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 से मिलावट करते हुए जैर निगरानी विवादित आराजी का प्रार्थी के दादा के नाम पूर्व में पट्टा जारी होने के बावजूद दुबारा पट्टा जारी करवाया हैं, जो विधि विरूद्ध हैं। इस सम्बन्ध में प्रार्थी के दादा दलसुखराम पुत्र चमनाजी के नाम जारी पट्टा संख्या 56 दिनांक 16.06.1972 तथा जैर निगरानी पट्टे के पडौस का मिलान करने पर यह प्रकट होता है कि जैर निगरानी पट्टे में वही पडौस व क्षैत्रफल अंकित किए गए है, जो प्रार्थी के दादा के नाम नाम जारी पट्टे में दर्ज हैं। इससे यह पुख्ता होता है कि जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जो पट्टा जारी किया गया है, उस पर पूर्व में पट्टा जारी हो चुका था, इस कारण जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टा विधि सम्मत नहीं हैं। अतः जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा विधि विरूद्ध होने से खारिज़ योग्य हैं।

अति० जिला कलेक्टर, बाड़ी

परिणाम स्वरूप निगरानी स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत सोमेसर द्वारा मिसल संख्या 93/2007–2008 के सम्बन्ध में पारित प्रस्ताव संख्या 3 दिनांक 24.05.2008 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 18 को अपास्त किया जाता हैं। निर्णय की सत्य प्रति के साथ ग्राम पंचायत का रेकर्ड लौटाया जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 20/02/2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलक्टर, पाली